फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

श्री भैरूसिंह पिता शंकरसिंह रावणा निवासी भाणा तहसील करेड़ा

बनाम

श्री मुला पिता आसु रावणा निवासी भाणा तहसील करेड़ा वगैरह

किस्म मुकदमा 212 प्रार्थनापत्र नं0 217 सन् 2020

दि	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
020	प्रकरण प्रस्तुत हुआ पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर उपस्थित वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई कि ग्राम बड़ी का बाड़िया पटवार हलका भाणा तहसील करेड़ा के आराजी नं. 1623, 1630 व 1760/3 कुल किता 3 रकबा 0.5944 हैक्टयर भूमि विपक्षी संख्या 01 के नाम दर्ज है जिसे विपक्षी संख्या 01 ने अपने भाई एवं प्रार्थी के पिता शंकर सिंह को दिनांक 20.04.1998 को इकरारनामे से गिरवी रख दी तथा इसी दिनांक से उसके पिता तथा उनकी मृत्यु पश्चात प्रार्थी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। परन्तु उक्त आराजियात विपक्षी संख्या 01 के नाम दर्ज होने से वह प्रार्थी को बेदखल कर विक्रय, रहन बय बख्शीश कर खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है । अतः विपक्षीगणों को पाबंद करे कि वह प्रार्थी के उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करने तथा रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है। मैने प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष का है। यदि विपक्षीगणों द्वारा प्रार्थी को बेदखल करते है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम बड़ी का बाड़िया पटवार हलका भाणा तहसील करेड़ा के आराजी नं. 1623, 1630 व 1760/3 कुल किता 3 रकबा 0.5944 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी के उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने तथा मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगणों के विरूद्ध एवं विपक्षी संख्या 03 पंजीयन नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी के जवाब दिनांक 08.02.2020 तक जारी की जाती है । शर्तों पर लागु नहीं । आदेश 39 नियम 3 की पालना हो। हुक्म इत्तलाई चंद रोजा पेश करने पर जारी करें। पत्रावली दिनांक 08.02.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी करेड़ा (भीलवाड़ा) 05/01/2021 - प्रार्थी के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पत्रावली [illegible] प्रार्थी अधिवक्ता [illegible] ने प्रार्थना पत्र [illegible] किया कि [illegible] राजीनामा [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:09:58 IST
Reason: SelfAttested

मे अन्य कोई कार्यवाही नहीं चाहते
है तथा प्रकरण को इसी स्तर पर
खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी के
अधिवक्ता को उपरोक्त पत्र पर
बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता
ने मूल वाद में कार्यवाही राजीनामा
होने से [illegible] नहीं चाहने से वाद
का खारिज कर देने हेतु कहा है। प्रार्थना
पत्र व पक्षकारों के मध्य राजीनामा
होने से कार्यवाही नहीं चाहते
से इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है। प्रकरण में पूर्व
मे जारी स्थगन आदेश। स्वतः निरस्त
माना जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार
होकर दर्ज नंबरात से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी [illegible]
सहायक कलक्टर [illegible]

A.C.M.
लवकेश
प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:09:58 IST
Reason: SelfAttested